

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
आज्ञा - पत्र

उनवान

.....
 विष्णु कुमार बनाम वल्लभ
 किस्म मुकदमा द्वारा - 223 दि. नं. 92/2019 सन
 अभिभाषक अपीलान्त श्री-चरण सिंह अभिभाषक रैसपोन्डेंट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19-2-2021	<p>पुत्रावली कोर्ट केम्प आलाकाउट पैरा इन्/ अभिभाषक अपीलान्त द्वारा अपील को Not Pass किया गया/ मन्त्र, अपील अपीलान्त Not Pass में रजिस्ट्रार की जगती इ/ पुत्रावली फिलहाल हुकम डीकर लाइतामीत एवं तक मील डारिफत दफ्तर है।</p> <p>(महेश लोका) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)</p>	<p>R-1 to R-4 तक की शेष Not Pass 19/2/21</p>

नीडर
श्री-परणादि जी एडु द्वारा
पेश की/काद जम्प रिपोर्ट
इसके पेश की



8-11-19

(भवनी राघव गुर्जर)
सू-प्रबंध अधिकारी एवं
सू-प्रबंध अपील प्राधिकारी

न्यायालय :- सू-प्रबंध कौटा केम्प झालावाड राजो एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कौटा केम्प झालावाड राजो

रेवेन्यू अमाल क्रमांक /2019

विष्णु कुमार पिता देवीलाल जाति ब्राह्मण आयु 40 साल निवासी
उन्हैल तहसील पिडावा जिला झालावाड राजो ---- अपीलान्ट
बनाम

- 1-- वल्लभ पिता देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी उन्हैल हाल
निवासी पिडावा तहसील पिडावा जिला झालावाड राजो
- 2-- रमेशचन्द्र पिता देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी उन्हैल तहसील
पिडावा जिला झालावाड राजो
- 3-- रेवतीनन्द पिता देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी उन्हैल तहसील
पिडावा जिला झालावाड राजो
- 4-- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला
झालावाड राजो ----- रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धोरा 223 आर. टी. एक्ट
बनाराजगी निष्पत्ति उपखण्ड अधिकारी पिडावा,
दिनांक 29.08.2018 उनवान बल्लभ --बनाम --
रमेशचन्द्र कोराह, मिसल नं.-81/2016 धोरा
53, 209 राजस्थान टाँनेन्सी एक्ट

महोदय,

अपीलान्ट निम्न अपील पेश कर निवेदन करता है कि:-

00- यह कि वादा/रेस्पोंडेन्ट अधिमस्थ न्यायालय पिडावा मे एक
वाद धोरा 53, 209 राज. टी. एक्ट मे पेश किया जितमे वादी तथा
अंकित किया कि ग्राम रोशनबाडी पटवार हल्का कडो दिया तहसील
पिडावा जिला झालावाड की जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या
281 की आराजी खसरा नं.-715 रकबा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर-
716 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा कुल दो किता कुल रकबा 20 बीघा
13 बिस्वा भूमि के तखन्दा मे राजस्थान टाँनेन्सी एक्ट की धोरा 53,
209 के तहत वाद प्रस्तुत किया। वादग्रस्त आराजा शोमलाता के खाते
मे दर्ज थी। जिसमे वादी/रेस्पोंडेन्ट नं.-01 का 1/4 हिस्सा खाते

Lal Singh
Handwritten signature